न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)

जमानत याचिका क्रमांक–1077/2022
संस्थित दिनांक–20/12/2022
थाना कसडोल पुलिस चौकी लवन
अपराध क्र.–1076/2022
CIS No.–1077/2022

डीकेश ओगरे पिता लच्छीराम उम्र 32 वर्ष
साकिन–मरदा, पुलिस चौकी–लवन, थाना–कसडोल,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) .....**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र कसडोल पुलिस चौकी लवन .....**अनावेदक/अभियोजक**

जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में पारित
आदेश दिनाँक 22/12/2022 की सत्यप्रतिलिपि।

22–12–2022 आवेदक/अभियुक्त डीकेश ओगरे अभिरक्षा में है, उसकी ओर से श्री एम.आर. सोनवानी अधिवक्ता।

राज्य द्वारा लोक अभियोजक श्री समीर अग्रवाल उपस्थित ।

थाना कसडोल पुलिस चौकी लवन से केस डायरी प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त को थाना कसडोल पुलिस चौकी लवन के अपराध क्रमांक – 1076/2022, अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में अभिरक्षाधीन होना बताते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से शिवकुमारी ओगरे द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई भी नियमित जमानत आवेदन लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि– आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना कसडोल पुलिस चौकी लवन पुलिस द्वारा अपराध क्र.– 1076/2022 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 20.12.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया , जहां से उसे उपजेल बलौदाबाजार में निरूद्ध रखा गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 पेश किया गया था जो निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसे रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम मरदा, थाना कसडोल जिला

बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. का स्थायी निवासी है, ऐसी स्थिति में उसके कहीं अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है।आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के हर आदेशों का पालन करने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

थाना कसडोल पुलिस चौकी लवन के अपराध क्र. 1076/2022 की केस डायरी के अनुसारघटना दिनाँक **19.12.2022** को पुलिस चौकी लवन का प्रधान आरक्षक परमानंद रथ हमराह स्टाफ के साथ अवैध शराब रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था, उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मरदा का डीकेश ओगरे अवैध रूप से अपने घर में शराब छिपाकर रखा है , उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौका स्थल पर पहुंचकर रेड कार्यवाही करने पर अभियुक्त डीकेश ओगरे अपने कब्जे में एक कपड़े के थैले में 200–200 एम.एल. वाली प्लास्टिक झिल्ली बंधे हुए कुल 50 पाउच हाथ भट्ठी महुआ शराब **कुल 10 बल्क** लीटर बिक्री हेतु रखा था, जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त बरामद कुल **10** बल्क लीटर शराब को जप्त किया गया। मौके पर देहाती नॉलिसी दर्ज की गयी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना कसडोल में प्रथम सूचना पत्र क्र.–1076/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायमी की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बलौदाबाजार भेजा गया है एवं प्रकरण की शेष विवेचना की जा रही है।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.12.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केस डायरी से इस अपराध के अलावा आवेदक/अभियुक्त की अन्य और अपराधों में संलिप्त होना परिलक्षित नहीं होता है।

अतः शराब की मात्रा तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचारोपरांत आवेदक/अभियुक्त **डीकेश ओगरे** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य राशि **20,000/–₹** की एक सक्षम जमानत तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाए तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत का लाभ प्रदान किया जावे–

शर्तें–

(1) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त संबंधित न्यायालय द्वारा आदेशित तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और विवेचना/जाँच में सहयोग करेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त समरूप अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और अन्य किसी अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह **माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के सी.आर.एम.पी. क्रमांक 62/2018 वेदप्रकाश विरूद्ध छ.ग.राज्य** में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार जमानत एवं बंधपत्र प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर, संबंधित थाना को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए।

सही/–

(विजय कुमार एक्का)

सत्र न्यायाधीश,

बलौदाबाजार (छ.ग.)